न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./52/2016/जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़। जिला जैसलमेर	बनाम	1.नाथुसिंह दत्तक पुत्र उत्तमसिंह 2.श्रीमती कंवरा कंवर पुत्र खुशालसिंह 3.भगवानसिंह पुत्र खुशालसिंह 4.श्रीमत साहकंवर पत्नी अर्जुनसिंह(फौत) 5.भैरूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 6.इन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 7.उदयसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 8.कालूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दवाड़ा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 19/2015 बनवान उत्तमसिंह कायम मुकाम नाथुसिंह वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 15.07.2015 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 89, 90, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम दवाड़ा के खसरा संख्या 494 रकबा 59.01 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट के पूर्वजों की जागीरदारी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दवाड़ा में समरी खाता संख्या 05 खसरा संख्या 2 खेत का नाम ओडो वालो रकबा 575 बीघा किस्म बाजरिया आया हुआ है और उसका इन्द्राज भी समरी बंदोबस्त में रेस्पोडेंट/वादीगण के नाम से खुदकाश्त दर्ज है। हाल खसरा संख्या 494 रकबा 59.01 बीघा खेत का नाम ओडो वालो भूमि को रेस्पोडेंट को बना सुनवाई का अवसर दिये एवं मनमर्जी से कमी कर पड़त सरकार (सिवायचक) दर्ज कर दिया जो कि गलत है। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि समरी में खसरा संख्या 02 ओडोवालों रकबा 575 बीघा वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में था। पर्चा लगान (24) ग्राम दवाड़ा तहसील जैसलमेर के अनुसार भूमि खसरा संख्या 493, 795, 496, 527 में 333 कुल खसरा 10 रकबा 458.00 बीघा वादीगण के पिता(पूर्वजों) के नाम जारी होकर खातेदारी दर्ज हुई, जो कम्प्रेटिव रजिस्टर ग्राम दवाड़ा से स्पष्ट है। सेटलमेंट विभाग के खसरा संवत 2021 मुताबिक खसरा संख्या 494 रकबा 59.01 बीघा उतमसिंह वगैरह को काटकर खालसा सरकार "पास सुदा कम्प्रेटिव के माफिक बिला नाम (बंजड़) दर्ज किया" की टिप्पणी अंकित करते हुए दर्ज कर दिया। वर्तमान जमाबंदी ग्राम दवाड़ा संवत 2067 से 2070 खसरा संख्या 494 रकबा 59.01 बीघा बंजड़ (खेती के लिए उपलब्ध) राजकीय सिवायचक भूमि है। वर्तमान जमाबंदी ग्राम दवाड़ा संवत 2071 से 74 खाता संख्या 118 भगवानसिंह पुत्र खुशालसिंह अकेले के नाम 10 खसरो में कुल 378.06 बीघा भूमि खाता संख्या 85 नाथूसिंह मुतबना उत्तमसिंह अकेले के नाम 08 खसरों की कुल 432.06 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 126 भेरूसिंह, इन्द्रसिंह उदयसिंह, कालूसिंह पिता अर्जुनसिंह के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नाम 05 खसरों की कुल भूमि 430 बीघा है। रेस्पोडेंट का वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 494 रकबा 59.01 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से लगातार कब्जा काश्त बाबत कोई प्रमाण नहीं है। बिना कब्जा काश्त की सरकारी दर्ज भूमि पर खातेदारी अधिकारी प्रदान कर देने का कोई आधार नहीं है। रेस्पोडेंट/वादीगण ने अपने खातों में दर्ज अन्य खसरों की भूमि का उल्लेख भी दावे में नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि में खुशालसिंह पुत्र विरधसिंह भी संयुक्त खातेदार रहा है, जबकि इसके बारे में दावे में कोई कथन नहीं है न ही इनके वारिस पक्षकार है। दावा सद्‌भाविक नहीं है तथा सरकारी भूमि हड़पने की नियत से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 19/2015 बनवान उत्तमसिंह कायम मुकाम नाथुसिंह वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाता है।

18.7.19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.7.19

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner